# प्रेस नोट जनपद खीरी

**दिनाँक 10.04.2021**

**पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-**

## महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण, अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.04.2021 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत लाहौरीनगर स्थित एक खेत से एक अज्ञात महिला का शव मिला था। मृतका की शिनाख्त हेतु किए गए अथक प्रयासों के फलस्वरूप ,दिनांक 07.04.2021 को मृतका की पहचान श्रीमती जन्तरा पत्नी स्व० कढिले नि0 भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी के रूप में हुई। मृतका के पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या करना पाया गया। घटना के संबंध में कोतवाली सदर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरु की गई।

विवेचना के क्रम में, मोबाइल सर्विलांस एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से घटना में एक व्यक्ति की संलिप्तता प्रकाश में आयी जिसकी पहचान संजय भार्गव पुत्र स्व0 श्यामलाल नि0 मछेदिया थाना व जनपद खीरी के रुप में हुई, जो किराए पर रिक्शा चलाता है। संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए बताया गया कि उसकी मृतका से विगत 04-05 वर्षों से घनिष्ठ जान पहचान थी। अभियुक्त ने मृतका से 4500

रुपए उधार लिये थे, जिन्हें मृतका वापस मांग रही थी। इस उधार रुपए को वापस करने में असमर्थता के कारण, अभियुक्त मृतका को बहाने से अपने साथ ले गया तथा साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी तथा बाद में मृतका के परिवार वालों को विश्वास में लेने के लिए मृतका के दामाद को कई बार फोन करके मृतका के वापस घर पहुंचने के विषय में पूछता रहा। घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000/- रू0 का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संजय भार्गव पुत्र स्व0 श्यामलाल नि0 मछेदिया थाना व जनपद खीरी

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव, थाना कोतवाली सदर
2. उ0नि0 रंजीत सिंह यादव
3. आरक्षी शुभम गंगवार
4. आरक्षी मांगेराम

## **थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 12 ग्राम अवैध चरस बरामद कर अभियुक्त कुलबिन्दर को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अभियुक्त कुलबिन्दर सिंह पुतर प्रीतम सिंह नि0 रननगर थाना तिकुनिया खीरी को 12 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 74/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

## **अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **80 लीटर अवैध कच्ची शराब**, **03 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **06 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

| **क्र0 सं0** | **थाना** | **बरामदगी** | **गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या** |
|---|---|---|---|
| **1.** | **थाना मैगलगंज** | **20 लीटर** | **01 अभियुक्त गिरफ्तार** |
| **2.** | **थाना पलिया** | **20 लीटर** | **02 अभियुक्त गिरफ्तार** |
| **3.** | **थाना भीरा** | **20 लीटर** | **01 अभियुक्त गिरफ्तार** |
| **4.** | **थाना खीरी** | **10 लीटर** | **01 अभियुक्त गिरफ्तार** |
| **5.** | **थाना नीमगांव** | **10 लीटर** | **01 अभियुक्त गिरफ्तार** |
| | **कुल योग** | **80 लीटर** | **06 अभियुक्त गिरफ्तार** |